तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2354 / 2005 / भरतपुर रसूलखां बनाम सुन्दरसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23.09.2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक प्रार्थी श्रीमति पूनम माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 **आदेश** **1–** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर, नगर जिला भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। **2–** निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर जिला भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी बाबत न्यायालय कलक्टर एवं भू प्रबन्ध आयुक्त पुर्नवास भरतपुर के निर्णय दिनांक 24–10–1994 की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लेने का प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर जिला भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 28–03–2005 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। **3–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश कर न्यायालय कलक्टर एवं भू प्रबन्ध आयुक्त पुर्नवास भरतपुर के निर्णय दिनांक 24–10–1994 की प्रमाणित प्रतिलिपि को न्याय हित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था। उक्त दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है तथा वाद के निस्तारण में आवश्यक दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पूर्व में सहवन से प्रस्तुत करने से रह गया था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी विधि विरूद्ध खारिज किया है, अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जावे। **5–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अभिकथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना	

पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश कर दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है वह दिनांक 24–10–1994 की नकल है जो प्रार्थी के पावर व पजेशन का दस्तावेजात है जो तनकीयात से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उक्त दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत नहीं कर वाद को देरीना करने के लिए प्रस्तुत किया है। वर्तमान में दावे में वादी की साक्ष्य समाप्त होकर यह तरदीदी शहादत में नियत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित रुप से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक या विधिक त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सी0पी0सी0 को खारिज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय कलक्टर एवं भू प्रबन्ध आयुक्त पुर्नवास भरतपुर के निर्णय दिनांक 24–10–1994 की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड लेने का निवेदन किया है। उक्त दस्तावेज विवादित आराजी तथा इन्हीं पक्षकारों से संबंधित दस्तावेज होकर प्रकरण के न्यायसम्मत निस्तारण में सहायक होगा। प्रार्थी द्वारा दावे में अपने पक्ष की प्रतिरक्षा में विवादित भूमि तथा पक्षकारान से संबंधित किसी पूर्व निर्णय की प्रति प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। प्रकरण में दिनांक 18–06–2004 को विवाद्यक कायम होने पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 02–3–2005 को प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी स्टेज पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विलम्ब शुल्क पर स्वीकारयोग्य है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर का आदेश दिनांक 28–03–2005 अपास्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी 1000/– रूपये विलम्ब शुल्क पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रतिवादी विलम्ब शुल्क विचारण न्यायालय में वादी पक्ष को अदा करें।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्ष सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर में **दिनांक 17–10–2025** को उपस्थित रहने बाबत सूचित रहें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य